"प्रति"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी R.A.S.

कैम्प कोर्ट जागसा

अपील सं. 02/2019

अपीलान्ट Vs उत्तरदातागण

1. जगलीदेवी W/o गडूकाराम
2. नरिंगाराम पुत्र गडूकाराम
3. केशाराम पुत्र गडूकाराम
4. धोगाराम पुत्र गडूकाराम उम्र 15 वर्ष

जाति देवासी निवासी जागसा तहसील, पचपदरा

धोगाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अपीलान्ट सं. 1 जगलीदेवी W/o गडूकाराम

1. आदाराम पुत्र भलाराम
2. मांगाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र सरदाराराम उम्र 15 वर्ष जरिये कुदरती वली पिता रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 आदाराम पुत्र भलाराम जाति देवासी निवासी जागसा तहसील पचपदरा
3. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, जागसा
4. तहसीलदार, पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरुद्ध सरपंच ग्राम पंचायत, जागसा दि० 12.07.2018 को पारित नामान्तरकरण सं. 84 ग्राम जागसा को निरस्त करने बाबत

— xxx —

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

आदेश [illegible] 02.11.2021

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:51 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट की अपील [illegible] तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट सं. 01 व मृतक सरदाराराम का एक हिस्सा 1/2 व हरिराम, ढाबूराम, मांगाराम, धीमोबराम

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प ग्राम पंचायत__________ प.स.________

सुन्दर देवी w/o गोबरराम, गणेशाराम पुत्र उकाराम जाति देवासी का ½ हिस्सा की पुश्तैनी अविभाजित संयुक्त राजस्व आराजी राजस्व आराजी राजस्व गांव जागसा के खाता सं. 84 के क्षेत्र खसरा नम्बर 577 रकबा 0.04 बीघा, किस्म गै. मु. कृषि, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.04 बीघा किस्म गै. मु. कृषि, खसरा नम्बर 579 रकबा 44-18 बीघा, खसरा नम्बर 580 रकबा 09.09 बीघा, खसरा नम्बर 592 रकबा 17.05 बीघा कुल 5 खसरा रकबा 72 बीघा अवस्थित है, जो पुश्तैनी एवं अविभाजित है।

अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट नं. 1 व 2 का आपस का वंश वृक्ष इस प्रकार है:-

स्व. मलाराम
- गडूकाराम
  - अणसीदेवी
  - नरिंगाराम
  - केसाराम
  - फोगाराम
- सरदाराराम (लाऔलाद फौत)
- आसाराम

स्व. मलाराम का उपरोक्त आराजी में ½ हिस्सा था, जिनके तीन पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा गडूकाराम की मृत्यु दि० 09.05.2015 को हो चुकी थी. अपीलार्थी जिसके वारिसान है. तथा [illegible] अविवाहित निःसन्तान लाऔलाद दि० [illegible].2018 को फौत हुआ तथा उससे छोटा आसाराम रेस्पोंडेन्ट नं. 1 जो जिवित है। तथा उसके दो पुत्र अमराराम व नाबालिग मांगाराम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत________ प.स.______

स्व. सरदाराराम अविवाहित निःसंतान लाईलाज दिनांक 04.05.2018 को फौत होने से पूर्व अपीलान्ट के साथ निवास करते थे, बीमारी के दौरान सरदाराराम की सेवा चाकरी अपीलान्टस के द्वारा की जाती थी, सरदाराराम अनपढ़ व भोले स्वभाव का व्यक्ति था जिनके द्वारा किसी को गोद नहीं लिया गया, एवं न ही अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति हक हिस्से का किसी के पक्ष में वसीयत किया गया। निःसंतान ही फौत हो गये। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 मृतक सरदाराराम के हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से उसके हिस्से की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

मृतक सरदाराराम की फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 3036 दिनांक 12.07.2018 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपने पुत्र मंगाराम के नाम से राजनैतिक दबाव (प्रभाव) से करवाया जो पूर्ण रूप से गलत निराधार है।

अतः में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अपीलान्ट्स ... नामान्तरकरण नं. 3036 को अपास्त कर ... अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम अमल... किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प ग्राम पंचायत________________प.स.________

(5.)

विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा अपीलान्ट व उत्तरदाता सं. 1, 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

प्रशासन गांवों के संग अभियान में मजमें आम में जांच तहसीलदार पचपदरा, उप तहसीलदार, जसोल के द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि नामान्तरकरण सं. 3036 में मांगाराम पुत्र आदाराम को सरदाराराम का पुत्र होना बता कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात किया गया है जबकि सरदाराराम अविवाहित लाऔलाद फोत हो चुका था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज रा.उ.मा.वि. जागसा के जन्म तिथी प्रमाण-पत्र में छात्र मांगीलाल देवासी पुत्र आदाराम SR No. 686 की जन्म तिथि 17.08.2001 दर्ज है। इससे स्पष्ट साबित है कि स्व. सरदाराराम का मांगीलाल ... मांगाराम जागसा पुत्र नहीं है, जबकि नामान्तरकरण 3036 मौजा जागसा को मांगाराम पुत्र सरदाराराम दर्ज किया गया, हलका पटवारी, भू.अ. निरीक्षक, सरपंच ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
शिविर ग्राम पंचायत .... प.स. ....

पंचायत जागसा के द्वारा विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से मांगाराम पुत्र आसाराम को सरदाराराम का जायज पुत्र बताकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार परअपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर मौजा जागसा के नामान्तरकरण सं. 3036 पर सरपंच ग्राम पंचायत जागसा के द्वारा पारित अपीलान्टीत आदेश को अपास्त कर तहसीलदार, पचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि स्व० सरदाराराम के विधिक वारिसों की बाद सुनवाई जांच कर नये सिरे नामान्तरकरण पारित करने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दि. 02-11-2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट जागसा ... आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश [illegible])
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत__________ प.स.__________

[illegible stamp]